क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर,
ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
फोन नंबर (0755) 2466392 बेवसाइट www.mppcb.nic.in

पुराने वाहनों के विक्रय संबंधी निविदा सूचना

निम्न पुराने वाहन जैसा है और जिस हालत में है के आधार पर विक्रय के लिये सीलबंद निविदायें निर्धारित निविदा प्रारूप में क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0	वाहन पंजीयन क्र0	मेक	मॉडल	न्यूनतम नीलामी राशि (रू0)	धरोहर राशि (रू0)
1	एमपी 04 एचबी–0233	टेम्पो ट्रैक्स गामा	2002	52000/–	5,000/–
2	एमपी–04 एचबी 0252	क्वालिस (टोएटा)	2002	1,80,000/–	5,000/–
3	एमपी–20 एच–7060	मारूति जिप्सी	1997	90,000/–	5,000/–

उपरोक्त वाहन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में किसी भी कार्यालयीन दिवस में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक देखे जा सकते हैं ।

1. निविदा फार्म विज्ञप्ति प्रसारित होने की दिनांक से रूपये 100/– मात्र नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम से देय हो जमा कर कार्यालयीन दिवस में दिनांक 24–06–2014 तक अपरान्ह 1.00 बजे तक लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा फार्म की मूल्य राशि किसी भी रूप में वापिस नहीं की जावेगी ।
2. निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं एवं बोर्ड की बेवसाइट www.mppcb.nic.in पर भी देख सकते हैं ।

क्षेत्रीय अधिकारी

निविदा की शर्तें :

1. इस कार्यालय में दिनांक 25—06—2014 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निविदाऐं स्वीकार की जावेंगी एवं उसी दिन सायं 3.00 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदाऐं खोली जावेंगी ।
2. प्रत्येक निविदा (प्रत्येक वाहन हेतु) के साथ प्रतिभूति राशि रू. 5,000/— बैंक ड्राफ्ट या पे—आर्डर के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम प्रस्तुत करना होगी ।
3. निविदा लिफाफे के ऊपर वाहन का पंजीयन कमांक एवं उसका मेक स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये ।
4. प्रतिभूति राशि अलग से बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी । नियमानुसार प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के उपरांत ही निविदा फार्म (लिफाफा) खोला जावेगा एवं बिना प्रतिभूति राशि के साथ प्राप्त निविदा लिफाफा नहीं खोला जावेगा एवं किसी भी तरह का विचार नहीं किया जावेगा ।
5. एक निविदा फार्म में एक ही गाड़ी के लिए निविदा स्वीकार की जावेगी।
6. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को होगा एवं उपरोक्त संबंध में उनका निर्णय अंतिम माना जावेगा ।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन की पूर्ण राशि जमा करते समय प्रतिभूति/धरोहर राशि का समायोजन किया जावेगा । ऑफर स्वीकार होने की पूर्ण रकम का भुगतान आदेश पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अंदर करना होगा अन्यथा प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी ।
8. वरीयता कम में कमांक 1 एवं 2 निविदाकर्ता की धरोहर राशि को छोड़कर अन्य की धरोहर राशि उसी दिवस वापिस कर दी जावेगी ।
9. किसी भी तरह की सशर्त निविदा स्वीकार/ग्राह्य/मान्य नहीं की जावेगी ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित